

## प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 01.01.2026 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- थाना रुरा पुलिस द्वारा अभियुक्त राघवेन्द्र पुत्र राजकुमार निवासी बाजार वार्ड कस्बा व थाना रुरा जनपद कानपुर देहात उम्र 40 वर्ष के कब्जे से 16 अदद नाजायज क्वार्टर देशी शराब ट्रिविन टावर ब्राण्ड बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 001/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अरविन्द कुमार पुत्र विश्राम सिंह निवासी लगडेपुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 34 वर्ष के कब्जे से 27 अदद नाजायज क्वार्टर देशी शराब ट्रिविन टावर ब्राण्ड बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 001/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त दिलीप कुमार पुत्र स्व0 रामचन्द्र निवासी डींग थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र 29 वर्ष के कब्जे से 21 अदद नाजायज क्वार्टर देशी शराब ट्रिविन टावर ब्राण्ड बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 004/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त ओपेन्ड्र पुत्र देवीप्रसाद निवासी ग्राम खरका थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात उम्र लगभग 28 वर्ष के कब्जे से 15 अदद नाजायज देशी शराब टेट्रा क्वार्टर ट्रिविन टावर ब्राण्ड (प्रत्येक 180 ML) बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 005/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रशान्त पुत्र ओम प्रकाश निवासी ग्राम किशवाखेडा थाना डेरापुर, जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 20 अदद नाजायज क्वार्टर देशी शराब ट्रिविन टावर ब्राण्ड बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 006/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रशान्त पुत्र ओम प्रकाश निवासी ग्राम किशवाखेडा थाना डेरापुर, जनपद कानपुर देहात महेन्द्र कुमार पुत्र रामगोपाल निवासी भैसाया थाना

रसूलाबाद कानपुर देहात के कब्जे से 100 क्वार्टर नाजायज देशी शराब जानेमन ब्राण्ड बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 001/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त बब्लू पुत्र स्व0 शिव नारायण निवासी ग्राम पिलखिनी ,थाना-भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 43 वर्ष के कब्जे से 01 नाजायज तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-002/26 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अकील पुत्र हनीफ निवासी अहरौली शेख थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 46 वर्ष के कब्जे से 01 नाजायज तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-003/26 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना रनिया पुलिस द्वारा अभियुक्त गोविन्दा पुत्र राजू निवासी ग्राम कमलपुर थाना राजपुर कानपुर देहात द्वारा सार्वजनिक स्थान पर आने-जाने वाली लड़कियों को देखकर अश्लील गाना गाने व हरकत करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 001/2026 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 07 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना रनियां पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति व थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया ।

